न्यायालय जिला कलक्टर,राजसमंद

(बाल मुकुन्द असावा, आई0ए0एस0, जिला कलक्टर द्वारा अध्यासित)

प्रार्थना पत्र रेफरेन्स सं. 01/2014
दायर दिनांकः 17.09.2014
निर्णय दिनांक 13.01.2025

–: अनवान :–

राजस्थान सरकार जरिये, तहसीलदार, राजमसन्द — **प्रार्थी**

बनाम

श्री मांगु पिता डालू कीर निवासी पीपली आचार्यान तहसील व जिला राजसमन्द — **अप्रार्थी**

रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 88(2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थितः

1– श्री अनील बागोरा, राजकीय अधिवक्ता।
2– श्री चन्द्रशेखर आचार्य अधिवक्ता अप्रार्थी ।

:: निर्णय ::

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में विचाराधीन प्रकरण संख्या अपील/एल.आर./3956/2008/ राजसमन्द अनवान मांगु पुत्र डालू, जाति कीर निवासी ग्राम पीपली आचार्यान तहसील व जिला राजसमन्द बनाम राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजसमन्द में पारित निर्णय दिनांक 22.05.2013 में प्रकरण प्रतिप्रेषित कर यह निर्देशित किया गया कि "**प्रकरण का सम्पूर्ण अध्ययन कर परीक्षण करे। बाद जांच यदि यह प्रकरण अब्दुल रहमान बनाम सरकार की परिधि में आता हो तो उसकी विधिवत् जांच कर रेफरेन्स नियमानुसार मण्डल को प्रेषित करने को स्वतंत्र है"।**

निर्देशानुसार प्रकरण पुनः दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये नोटिस सुनवाई हेतु तलब किया गया। जिस पर विपक्षीगण की ओर से अधिवक्ता श्री चन्द्रशेखर आचार्य उपस्थित हुए। पत्रावली सिधे बहस हेतु नियत की गयी तथा तहसीलदार राजसमन्द से माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की

पालना में मौके व रेकार्ड की जॉच रिपोर्ट प्राप्त की गयी। अधिवक्ता अप्रार्थी के बार–बार अनुपस्थित रहने से राजकीय अधिवक्ता ने एकपक्षीय बहस हेतु निवेदन किया। जिस पर राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस सूनी गयी। उसके उपरान्त अधिवक्ता अप्रार्थी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र वास्ते मौका रिपोर्ट बनवाने बाबत पेश किया। जिसे अस्वीकार कर खारिज किया गया।

राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि ग्राम पिपली आचार्यान के गत भू माप के खसरा संख्या 1279 रकबा 22–03 बीघा व खसरा संख्या 2091 रकबा 202–05 बीघा भूमि बिलानाम सरकार किस्म नदी अंकित थी। जिसके संवत 2030 में वक्त सेटलमेन्ट नवीन आराजी संख्या 3192/3108 रकबा 51–10 बीघा किस्म बंझड दर्ज कर दी गई एवं उक्त आराजी संख्या में से 2–05 बीघा भूमि दिनांक 27.01.1983 को अप्रार्थी को जरिये मिसल संख्या 28/83 से आवंटित की गई। जिसके वर्तमान आराजी संख्या 3609/3192 रकबा 2–05 बीघा किस्म बारानी तृतीय अप्रार्थीगण के नाम अंकित हैं। उक्त भूमि प्रतिबन्धित श्रैणी की होने से कानूनन आवंटन नही किया जा सकता हैं। विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 23.10.2017 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना में प्राप्त मौके व रेकार्ड की जॉच रिपोर्ट में राजस्व ग्राम पीपली आचार्यान की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2069–2072 में खसरा नम्बर 3609/3192 रकबा 2–05 बीघा किस्म नदी भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड हैं। अतः श्रीमान से निवेदन है कि रेफरेन्स स्वीकार फरमाया जाकर ग्राम पीपली आचार्यान के आराजी संख्या 3609/3192 रकबा 2–05 बीघा किस्म नदी भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त का अनुमोदन माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर से करवाया जावें।

राजकीय अधिवक्ता की बहस पर मनन किया, प्रकरण में गुणावगुण के आधार पर विचार किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। राजस्व ग्राम पीपली आचार्यान में स्थित भूमि ख.नं. 3609/3192 रकबा 2–05 बीघा किस्म बारानी तृतीय जो कि बंदोबस्त से पूर्व नदी अंकित थी एवं तत्पश्चात् अप्रार्थी के खाते में दर्ज की गई है। लेकिन पत्रावली के अवलोकन से पाया गया कि विचाराधीन प्रकरण में दिनांक 23.10.2017 को माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय की पालना में प्राप्त मौके व रेकार्ड की जॉच रिपोर्ट में राजस्व ग्राम पीपली आचार्यान की वर्तमान जमाबन्दी संवत 2069–2072 में खसरा नम्बर 3609/3192 रकबा 2–05 बीघा किस्म नदी भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त दर्ज रेकार्ड हैं और अप्रार्थी की तरफ से उपरोक्त तथ्यों के खण्डन में ऐसे कोई अकाटय तर्क एवं प्रमाण प्रस्तुत नहीं किये गये है, जिससे कि यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं हो। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर राजस्व मण्डल अजमेर को अनुमोदन हेतु प्रेषित किया जावें।

:: **आदेश** ::

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर मामला राजस्व मण्डल को रेफरेन्स प्रेषित करने हेतु इस आशय के साथ स्वीकार किया जाता है। कि ग्राम पीपली आचार्यान वर्तमान तहसील कुंवारिया में स्थित भूमि आराजी संख्या 3609/3192 रकबा 2–05 बीघा किस्म नदी भूमि बिलानाम गैर काबिल काश्त का अनुमोदन हेतु प्रकरण माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में रेफरेंस हेतु भेजे जाने के लिए एतदद्वारा आदेश दिये जाते हैं।

13/1/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद

निर्णय आज दिनांकः 13.01.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/1/25

(बाल मुकुन्द असावा)
जिला कलक्टर
राजसमंद